नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

–: आदेश :–

संख्याः–48/ने.वि.स./2023 रॉंची, दिनांक 18.06.2023

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के पत्रांक–844 दिनांक 09.06.2023 के द्वारा डॉ0 संतोष सिंह, प्राचार्य जिनका हस्ताक्षरित Contract of Service दिनांक 20.06.2018 के अनुसार दिनांक 19.06.2023 को Tenure समाप्त हो रहा है, का सभापति के पूर्वानुमति के बिना स्वयं डॉ0 सिंह द्वारा बुलायी गई अवैध/अनाधिकारिक बैठक संख्या–63वीं दिनांक 11.05.2023 एवं बैठक संख्या–64वीं दिनांक 09.06.2023 के निर्णय के आधार पर संविदा अवधि विस्तार दिनांक 21.06.2023 के प्रभाव से अगले 05 वर्षों तक के लिए डॉ0 कामिनी कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति के द्वारा किया गया है।

2. विदित है कि नेतरहाट विद्यालय समिति के पत्रांक–23/ने.वि.स./2023 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा दिनांक 11.05.2023 की तथा पत्रांक–37/ने.वि.स./2023 दिनांक 06.06.2023 के द्वारा दिनांक 09.06.2023 की आहूत बैठक को स्थगित किया गया है, जिसकी विधिवत् सूचना विभाग को दी गई। विभागीय अधिसूचना संख्या–187 दिनांक 09.11.2010 की कंडिका 19(v) के अनुसार **"कार्यकारिणी समिति ही प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी, जिसके आहूत करने के संबंध में सभापति द्वारा निर्णय लिया जाएगा"** यथा–सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति में कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत करने की शक्ति निहित है तथा कंडिका 19(i) में दी गई रीति के अन्यथा, बिना सभापति के निर्णयानुसार आहूत बैठक एवं उक्त बैठक के निर्णय अमान्य/असंवैधानिक हैं।

3. नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लिए निरूपित नियुक्ति, सेवाशर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 के अध्याय–2 कंडिका–4 के अनुसार प्राचार्य पद हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा Contract Basis पर 05 साल के लिए सीधी नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है लेकिन संविदा अवधि विस्तार का कोई प्रावधान अभिलेखित नहीं है। डॉ0 सिंह के नियुक्ति पत्र एवं उनके द्वारा हस्ताक्षरित Contract of Service में भी संविदा विस्तार की शर्त निरूपित नहीं है। डॉ0 सिंह का Tenure दिनांक 19.06.2023 को समाप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए पत्रांक–33/ने.वि.स./2023 दिनांक 01.06.2023 के द्वारा डॉ0 प्रसाद पासवान को प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रभार लेने हेतु अधिकृत किया गया है।

4. तद्नुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–187 दिनांक 09.11.2010 की कंडिका–19(viii) में किये गये प्रावधान यथा–**"सभापति किसी ऐसे प्रश्न को, जो उसके अभिमत में ऐसे महत्व का हो, जिसके कारण उसपर राज्य सरकार का निर्णय आवश्यक हो, राज्य सरकार को भेज सकेगा एवं राज्य सरकार का निर्णय संस्था एवं इसकी कार्यकारिणी समिति पर बाध्यकारी होगा"** के प्रदत शक्तियों का निर्वहन करते हुए नेतरहाट विद्यालय समिति के पत्रांक–46/ने.वि.स./2023 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक–1666 दिनांक 18.06.2023 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पत्रांक–46/ने.वि.स. दिनांक 15.06.2023 में प्रतिवेदित तथ्यों को सम्पुष्ट कर दिया गया है।

Santosh

5. अतः नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के पत्रांक–844 दिनांक 09.06.2023 जिसके द्वारा डॉ0 संतोष सिंह, प्राचार्य का अवैध बैठकों के आधार पर नियम विरूद्ध/अनाधिकृत रूप से अवधि विस्तार किया गया है, का निर्गमन विभागीय अधिसूचना संख्या–187 दिनांक 09.11.2010 की कंडिका–19 एवं नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लिए निरूपित नियुक्ति, सेवाशर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 के यथाविहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने की यथास्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक–1666 दिनांक 18.06.2023 द्वारा की गयी सम्पुष्टि के आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के पत्रांक–844 दिनांक 09.06.2023 को निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

6. नये प्राचार्य पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन सं0–01/2023 दिनांक 03.04.2023 को रद्द करने तथा डॉ सिंह द्वारा स्वंय का Extension कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No.-1977/2023 संतोष कुमार सिंह–बनाम–राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया है। उक्त वाद में दिनांक 02.05. 2023 को पारित न्यायादेश का अंश जो निम्नवत है:– "Any appointment to the post of Principal shall be subject to outcome of this writ petition" के कारण विद्यालय में नये प्राचार्य की नियुक्ति में विलम्ब होने की सम्भावना को देखते हुए डॉ0 प्रसाद पासवान, सह–शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट अगले आदेश तक के लिए प्रभारी प्राचार्य के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

7. यह आदेश विभागीय पत्रांक–1666 दिनांक 18.06.2023 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

Santosh 18/6/2023

(संतोष उराँव)
सभापति, कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट।

संख्याः–48/ने.वि.स./2023 राँची, दिनांक 18.06.2023

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड/माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल मेदिनीनगर/उपायुक्त, लातेहार/ लोहरदगा/ पुलिस अधीक्षक, लातेहार/कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति के सभी सदस्य/प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार/कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/डॉ0 प्रसाद पासवान, सह–शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 18/6/2023

सभापति, कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट।

संख्याः–48/ने.वि.स./2023 राँची, दिनांक 18.06.2023

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से शांतिपूर्ण ढंग से प्रभार के आदान–प्रदान के लिए एक प्रतिनिधि की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाय।

Santosh 18/6/2023

सभापति, कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट।